

समाहरणालय, बक्सर
(स्थापना शाखा)

पत्रांक 01-0245 /स्था0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बक्सर एवं डुमराँव

बक्सर, दिनांक 05 / 02 /2021

विषय :-

बजट मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-अनुमण्डलीय स्थापना (विपत्र कोड संख्या 33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु राशि के उपावटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **Comprehensive Financial Management System, Govt. of Bihar** से विभिन्न ईकाईयों में विभिन्न आवंटन आई0डी0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के व्यय हेतु मो0 1,15,86,000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख छियासी हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवंटन 1,15,86,000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख छियासी हजार) रुपये को निम्नलिखित शर्तों के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार आपको उपावटित किया जाता है :-

2. उपावटित राशि की निकासी वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या 2561, दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 3388, दिनांक 18.04.2011, पत्रांक 422, दिनांक 31.03.2012 एवं पत्रांक 2793, दिनांक 04.04.2016 के आलोक में दिये गये निदेश एवं एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
3. इसकी मांग संख्या 33 एवं विपत्र कोड संख्या 33-2053000940001 है।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जॉच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही की जाय। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
6. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की होगी।
8. आवंटन CFMS के द्वारा प्राप्त है।
9. कोषागार में CFMS के माध्यम से विपत्र भेजते समय मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

२९

10. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतनादि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।
11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
12. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
13. मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

3.12.21
रखापना डीप खाता
03/02/21

आपर खाता
03/02/21

विश्वासभजन,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक 01-0245 /स्था0,बक्सर,दिनांक 05 / 02 /2021

प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/डुमरौव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.12.21
रखापना डीप खाता
03/02/21

आपर खाता
03/02/21

जिला पदाधिकारी,
बक्सर